भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3949

17.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

लुप्त जलपोत

3949. **श्री एम. सेल्वाराजः**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'देवा माथा 2' नामक एक जहाज ने 243 लोगों के साथ 12 जनवरी, 2019 को केरल में एर्नाकुलम जिले में स्थित एक बंदरगाह से प्रशांत महासागर की ओर यात्रा शुरू की थी तथा बाद में वह जहाज लुप्त हो गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं तथ्य क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने उक्त जलपोत को ढूंढने एवं उसके यात्रियों के बचाव के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) से **(घ)** गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार केरल में मुनाम्बम बंदरगाह से 12.01.2019 को लगभग 105 मछुआरे 'दया माथा-2' नामक मछली पकड़ने वाली नौका से निकले थे।

भारतीय तटरक्षकों ने जहाजों, हॉवरक्राफ्ट तथा हवाई जहाजों की मदद से गहन खोजबीन अभियान चलाया। इस मामले से संबंधित जानकारी इंटरपोल तथा अन्य एजेंसियों के साथ साझा की गई है ताकि लापता नौका तथा उसमें सवार लोगों का पता लगाया जा सके। अभी तक उस नौका का पता नहीं लग पाया है।

केरल पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 468, 471, 109 तथा 120 बी, पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 (1) (क), विदेशी राष्ट्रिक अधिनियम की धारा 14 क (ख) तथा (ग) और आप्रवासन अधिनियम की धारा 24 (1) (क) के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और इस गैर-

कानूनी काम में मदद करने वाले 3 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। जाँच-पड़ताल के लिए केरल पुलिस की एक विशेष टीम बनाई गई है।

*****